BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 627/2025

DANVEER SINGH & ORS. … APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE BY R-3, DISTRICT MAGISTRATE, AMROHA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 26.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	A COPY OF THE OFFICE ORDER DATED 18.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	COPIES OF THE LETTER DATED 13.02.2026 ALONG WITH COPIES OF THE NOTICES ARE ANNEXED	

	HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF THE LETTER DATED 12.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	COPIES OF THE LETTER DATED 17.06.2025 ALONG WITH CHARGESHEET ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-4	
6.	A COPY OF THE MOM DATED 05.05.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-5	
7.	COPIES OF REPORT DATED 05.05.2026 AND LETTER DATED 17.05.2026 ARE ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS ANNEXURE-6	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.

EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

PHONE NO.-7838248353

Date: 21.05.2026

Place: NOIDA

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 627/2025

NOTARIAL

DANVEER SINGH & ORS. ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ...RESPONDENT(S)

RESPONSE BY R-3, DISTRICT MAGISTRATE, AMROHA, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 26.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, Dr. Nitin Gaur, aged about 41 years, S/o Shri Brijesh Kumar Sharma, posted as, District Magistrate, Amroha, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY PUBLIC
RISHIPAL SINGH
Advocate
GOVT. OF INDIA

2. That I, state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, the present Original Application has been instituted by Applicant Numbers 1 to 5 claiming themselves to be the legal heirs/family members of five deceased persons who lost their lives in an explosion that occurred on 16.06.2025 at an allegedly illegally operated firecracker factory. By way of the present Original Application, the Applicants, inter alia, seek compensation on account of the deaths caused in the said incident.

4. That the matter was last listed for hearing on **26.02.2026** wherein Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "...1. A letter has been circulated by the counsel for the Respondent No. 3 seeking two weeks' time to file the reply.

   2. It will be open to other Respondents also to file the reply within the same period. Rejoinder, if any, can be filed by the Applicant within two weeks thereafter.

   3. List on 25.05.2026..."

NOTARY PUBLIC
RISHIPAL SINGH
Advocate
Area-THROUGHOUT
GOVT. OF INDIA

REPLY IS AS FOLLOWS

I. REGARDING CONSTITUTION OF THE DISTRICT LEVEL COMMITTEE

5. That, in compliance with the directions passed by the Hon'ble Tribunal, the deponent vide Office Order No. **1194/N-75/General-2025** dated **18.12.2025** constituted a Committee at the district level to inquire into the matter, take necessary action in accordance with law and submit its report to the deponent, so as to ensure due compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal and timely filing of response before this Hon'ble Tribunal. The Joint Committee comprise of the following members:
    a. Sub-Divisional Magistrate, Tehsil Sadar, Amroha;
    b. Circle Officer, Sadar, Amroha;
    c. Chief Fire Officer, Amroha;
    d. Assistant Labour Commissioner, Amroha; and
    e. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Bijnor.

    A copy of the office order dated 18.12.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

NOTARY PUBLIC RISHIPAL SINGH Advocate GOVT. OF INDIA

6. That, the District Level Committee conducted inspection of the site in question i.e. Gata No. 341, Village Atrasi Kalan on **09.02.2026** and thereafter

submitted its inspection report. (***Kindly refer to the UPPCB Affidavit dated 24.02.2026 at judicial page nos. 170–195; the same is not repeated herein for the sake of brevity***).

II. REGARDING ACTION TAKEN UNDER THE EMPLOYEES' COMPENSATION ACT, 1923

7. That, the Labour Enforcement Officer, vide letter dated **13.02.2026**, informed that an explosion occurred on **16.06.2025** at the aforesaid firecracker factory, wherein four workers died at the spot and one worker subsequently died during treatment. It was further informed that the compensation amounts payable under the Employees' Compensation Act, 1923 in respect of the deceased workers were duly calculated and notices under **Section 10A** of the said Act were issued to the owner of the firecracker factory directing deposit of the compensation amount.

   Copies of the letter dated 13.02.2026 along with copies of the notices are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-2***.

NOTARY PUBLIC RISHIPAL SINGH Advocate GOVT. OF INDIA

8. That, further, the Deputy Labour Commissioner, Moradabad Region, vide letter no. **3106/M.ECA-1923** dated **12.05.2026**, informed that notices were issued to the owner of the aforesaid factory directing deposit of compensation under the Employees' Compensation Act, 1923; however, neither was the

compensation amount deposited nor did the accused appear before the competent authority. It was further informed that, consequently, proceedings under the Employees' Compensation Act, 1923 being **ECA No. 95/2025** titled ***Mrs. Kishwari vs. Saifurrahman & Ors.***, **ECA No. 96/2025** titled ***Mr. Sabir vs. Saifurrahman & Ors.***, **ECA No. 97/2025** titled ***Mr. Sovinder Singh vs. Saifurrahman & Ors.***, **ECA No. 98/2025** titled ***Mr. Danveer vs. Saifurrahman & Ors.*** and **ECA No. 99/2025** titled ***Mrs. Premvati vs. Saifurrahman & Ors.*** were instituted and the said cases are presently pending consideration before the competent authority.

A copy of the letter dated 12.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

III. <u>REGARDING FIR NO. 152/2025</u>

9. That, the Circle Officer, City, Amroha, vide letter dated **17.02.2026,** informed that a complaint was received regarding a firecracker factory explosion which occurred on **16.06.2025** at Village Atrasi involving the factory operated by **Saifur Rehman S/o Kesar Ahmed**, wherein multiple persons died and sustained grave injuries. It was further informed that **FIR No. 152/2025** was registered on **17.06.2025** at Police Station Rajabpur, District Amroha under **Sections 288, 125(B) and 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 9B of the Explosives Act** against the aforesaid accused and, on the

basis of evidence collected during investigation, **Section 105 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 was also added** in the aforesaid case. It was further informed that, in view of the explosion allegedly caused due to negligence and non-compliance of the licence conditions relating to manufacture of firecrackers, proceedings for cancellation of the licence of the said factory were also initiated. Subsequently, upon finding sufficient evidence under **Sections 288, 125(B), 105 and 106 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 and Section 9B of the Explosives Act, Charge Sheet No. 137/2025 dated 02.08.2025 was submitted before the Court of competent jurisdiction at Amroha.**

Copies of the letter dated 17.06.2025 along with Chargesheet are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-4***.

NOTARY PUBLIC RISHIPAL SINGH Advocate GOVT. OF INDIA

IV. REGARDING COMPENSATION OF RS. 4 LACS EACH TO THE FAMILIES/DEPENDANTS OF THE 5 DECEASED PERSONS

10. That, it is most respectfully submitted that a meeting was convened on **04.05.2026** under the chairmanship of the deponent with the concerned departments and the Minutes of Meeting thereof were circulated on **06.05.2026**, wherein approval was accorded for payment of financial assistance of Rs. 4,00,000/- each under the State Disaster Response Fund in respect of the five deceased persons. In the said meeting, directions were

further issued to the concerned officials to take all necessary steps at the earliest in relation to payment of compensation to the legal heir/dependants of the deceased victims under the provisions of the State Disaster Response Fund and the Employees' Compensation Act, 1923, and to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal in their true letter and spirit.

A copy of the MOM dated 06.05.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-5***.

NOTARY PUBLIC RISHIPAL SINGH Advocate Area-TIRUOI GHPUT Regd. No. 5059.07 GOVT. OF INDIA

11. That, the Sub-Divisional Magistrate, Amroha, vide letter no. **552/RN(Work)/Da.A/2026** dated **05.05.2026**, submitted a report for the payment of compensation in respect of the five deceased persons under the State Disaster Response Fund and, thereafter, for providing financial assistance of Rs. 4,00,000/- each to the legal heir/dependants of the aforesaid deceased persons, the deponent vide a demand letter no. **770/AP-Fire/2026-27** dated **17.05.2026** requested the Relief Commissioner, Government of Uttar Pradesh, to allocate an amount of Rs. 20,00,000/- to District Amroha under the State Disaster Response Fund in the category of fire-related accidents.

Copies of report dated 05.05.2026 and letter dated 17.05.2026 are annexed herewith and collectively marked as ***Annexure-6***.

12. Hence, this response is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

13. That, everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY PUBLIC
RISHIPAL SINGH
Advocate
GOVT. OF INDIA

21/5/26

DEPONENT

21/5/26

VERIFICATION

Verified at Amroha on this 21st day of May 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 13 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

21/5/26

DEPONENT

Identified

21/5/26

[illegible] affirmed [illegible] deponent who is identified by [illegible] Advocate
I have satisfied my self after examining the deponent that he/she understood the contents of the affidavit and the same has been [illegible] explained by me.
[illegible] 100 [illegible] as fee.
Sl. No. 7709

RISHIPAL SINGH
Advocate/Notary Public
Area-THROUGHPUT, Distt. Court
Amroha (U.P.) Regd. No. 5059/07

22/5/26

MUDIT MATHUR Advocate
Ch. No 126 D.G.C. (Civil)
E. No. 600/94, C.O.P. No. 029034
Distt. Court's Amroha (U.P.) Mob. 9927343151

Annexure-No. -1

—कार्यालय आदेश—

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No.- 627/2025 Danveer Singh & Ors. Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक—04.12.2025 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं:—

"**1. By this Original Application (OA), applicants have sought compensation** for death of their family members in an explosion on 16.06.2025 at an illegal fire cracker factory situated at Gata no.221 Village Atrasi, District Amroha, Uttar Pradesh.

2. The applicant alleges that following five persons had died in the said accident:

"In the said explosion 5 persons who died are namely:

a) Rooma W/o Danveer Singh (Wife of Applicant no.1)

b) Sarvesh W/o Sovinder Singh (Wife of Applicant no.2)

c) Ruksana D/o Jakir Ali (Daughter of Applicant no.3)

d) Shahnaz W/o Sabir Ali (Wife of Applicant no.4)

e) Mona D/o Girish chandra (Daughter of Applicant no.5)."

3. Further plea of the applicant is that as many as eight persons had received injury in that accident.

4. Learned Counsel for the applicant has submitted that by way of this OA, compensation is claimed only in respect of the death which had taken place in the accident and in support of the plea that death took place in the fire accident in an illegally operating fire cracker factory, Learned Counsel for the applicant has placed reliance upon the news item on page 26, post-mortem reports filed as annexure A/2, page 27 onwards and FIR filed as annexure A/8 page 48.

5. He has further submitted that PRT application dated 25.09.2025 was submitted to the UPPCB seeking a copy of the CTO and the reply annexure A-12 was received disclosing that CTO to the unit did not exist. He submits that fire cracker unit was illegally operated by respondent no.4. He has further placed reliance upon the order of the Tribunal dated 11.06.2021 passed in OA No.442/2021 wherein in the similar circumstances Tribunal had awarded a sum of Rs. 20 lakhs to the family members of each deceased in such accident.

6. Issue notice to the respondents.

7. Ms. Priyanka Swami, Learned Counsel accepts notice on behalf of respondents no. 1 and 3 and seeks four weeks' time to file the reply.

8. Applicant is directed to serve a copy of the OA along with enclosures to Learned Counsel for respondents no. 1 and 3 within three days.

9. Applicant is directed to serve the other respondents and file affidavit of service atleast one week before the next date of hearing.

10. List on 26.02.2026."

अतः प्रकरण की संयुक्त जांच हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की समिति गठित करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर आख्या अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत संयुक्त जांच/कार्यवाही सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या/reply मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय दाखिल करायी जा सकें।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद—अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद—अमरोहा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), अमरोहा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

(निधि गुप्ता वत्स)
जिलाधिकारी
अमरोहा

(2)

कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

पत्रांक– 1194/N-75/अनापत्ति-2025 दिनांक– 18-12-2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–सदर, जनपद–अमरोहा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), सदर, जनपद–अमरोहा।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा।
4. सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग), अमरोहा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
अमरोहा

Annexure No. -2

श्रम विभाग

दिनांक 09.02.2026 को जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम द्वारा पटाखा फैक्ट्री स्थल ग्राम अतरासी खसरा नं0–241 जनपद अमरोहा की स्थलीय जांच की गयी। मौके पर फैक्ट्री बंद पायी गयी एवं किसी भी प्रकार का कार्य होता नही पाया गया। उक्त पटाखा फैक्ट्री में दिनांक 16.06.2025 को तीव्र विस्फोट में 04 श्रमिकों की मौके पर मृत्यु हो गयी, तथा 01 और श्रमिक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

उक्त मृतक श्रमिक एवं उनके आश्रितों का नाम व पता एवं निर्धारित कर्मकार प्रतिकर की देय योग धनराशि का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	मृतक का नाम, पता, आयु एवं वेतन	आश्रितगण का नाम	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	रूमा पत्नी श्री दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1984 से घटना तिथि को 16.06.2025 41 वर्ष लगभग वेतन रू0–10,994/–प्रतिमाह	1–श्री दानवीर मृतक रूमा के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/– 5,497×181.37= 9,96,991 (रूपया नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)
02	शहनवाज पत्नी श्री साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.1975 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू0–10,994/–प्रतिमाह	1–श्री साबिर अली मृतक शहनवाज के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/– 5,497×153.9= ,8,45,988 (रूपया आठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ अठ्ठासी मात्र)
03	सर्वेश पत्नी श्री सोविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि वेतन रू0–10,994/–प्रतिमाह 01.01.1989 से घटना तिथि को 36 वर्ष लगभग	1–श्री सोविन्द्र मृतक सर्वेश के पति।	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/– 5,497×194.64= 10,69,936 (रूपया दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
04	रूकसाना पुत्री श्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.2001 से घटना तिथि को 16.06.2025 50 वर्ष लगभग वेतन रू0–10,994/–प्रतिमाह	1–श्री–किशवरी पत्नी श्री जाकिर मृतक रूकसाना की माता	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/– 5,497×218.47= 12,00,929 (रूपया बारह लाख नौ सौ उनतीस मात्र)
05	सुश्री सोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरूदीन जिला अमरोहा, उर्फ मौहल्ला–मोतीगनर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु–17.04.2005 से घटना तिथि को 16.06.2025 20 वर्ष लगभग वेतन रू0–10,994/–प्रतिमाह	1–श्रीमती प्रेमवती पत्नी श्री गिरीश चन्द्र मृतक की माती	50 प्रतिशत कटौती कर अंकन 5,497/– 5,497×224= 12,31,328 (रूपया बारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठाईस मात्र)

उपरोक्त धनराशि आश्रितगणों को देने के लिये न्यायालयः कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत प्ररिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद द्वारा सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं।

संलग्न–यथोक्त।

Digitally signed by
MONIKA GAUTAM
Date: 13-02-2026
15:51:47

(मोनिका गौतम)
श्रम प्रवर्तन अधिकारी,
अमरोहा।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 9966-68/मु0–फैटल एक्सी0/2025 दिनांक– 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स–पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0–241.
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर–9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676–78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जाँच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0–701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1984 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 41 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूमा की आयु 41 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10.994/– रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक–181.37 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुकम में वेतन रूपया 10,994/– का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/–रू0 तद्नुसार आयु 41 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर 5497 X 181.37 = 9,96,991/– (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूमा पत्नी श्री दानवीर सिंह को देय क्षतिपूर्ति रू0 = 9,96,991/– (रूपये नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्व नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

514
25-06-25

25/6/2025

(दीप्तिमान भट्ट)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक– उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

1–श्री दानवीर सिंह (मृतक कर्मचारी रूमा का पति) निवासी– ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

(मुहर: न्यायालय कर्मकार प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद)

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3963-65/मु0–फैटल एक्सी0/2025 दिनांक– 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड़।
मैसर्स–पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0–241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर–9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676–78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जॉच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0–701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक शहनाज पत्नी साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1975 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 50 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक शहनाज की आयु 50 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/– रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक–153.9 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/– का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/–रू0 तद्नुसार आयु 50 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर 5497 X 153.9 = 8,45,988/– (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी शहनाज पत्नी श्री साबिर अली को देय क्षतिपूर्ति रू0 8,45,988/– (रूपये आठ लाख पैंतालीस हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्व नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी।

515
25-06-25

20/6/2025

(दीप्तिमान भट्ट)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक– उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

1–श्री साबिर अली (मृतक कर्मचारी शहनाज का पति) निवासी– ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।

2–प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

न्यायालय कर्मचारी क्षतिकार आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3969-71/मु0-फैटल एक्सी0/2025 दिनांक- 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स-पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0-241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर-9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676-78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जॉच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0-701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह, ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.1989 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06.2025 को उसकी आयु 36 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक सर्वेश की आयु 36 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/- रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक-194.64 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुकम में वेतन रूपया 10,994/- का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/-रू0 तदनुसार आयु 36 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर 5497 X 194.64 = 10,69,936/- (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

S/6
25-06-25

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सर्वेश पत्नी सोविन्द्र सिंह को देय क्षतिपूर्ति रू0 = 10,69,936/- (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्व नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

(दीप्तिमान भट्ट)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक- उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

1-श्री सोविन्द्र सिंह (मृतक कर्मचारी सर्वेश का पति) निवासी- ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिसर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या 3912-74/मु0–फैटल एक्सी0/2025 दिनांक– 20/6/25

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन
निवासी 1248/2, मण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स–पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0–241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर–9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूचना संबंध में जिला प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 676–78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जॉच में आपके अधीन/कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु हो गई से अवगत कराया गया है। तथा पत्र सं0–701 दिनांक 19.06.2025 द्वारा मृतक एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक सभी कर्मचारी अकुशल थे। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक रूकसाना पुत्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा की जन्म तिथि 01.01.2001 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 10.06.2025 को उसकी आयु 24 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अतः मृतक रूकसाना की आयु 24 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/– रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक–218.47 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/– का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/–रू0 तद्नुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर 5497 X 218.47 = 12,00,929/– (रूपये बारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी रूकसाना पुत्री जाकिर अली को देय क्षतिपूर्ति रू0 = 12,00,929/– (रूपये बारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्व नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

517
25-06-2025

20/6/2025

(दीप्तिमान भट्ट)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक– उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

1–श्रीमती किशवरी पत्नी जाकिर अली (मृतक कर्मचारी रूकसाना की माता) निवासी– ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

न्यायालय कर्मकार प्रतिकर आयुक्त एवं ... मुरादाबाद

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं उप श्रम आयुक्त,मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

न्यायालय : कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद
जिला पंचायत परिशर कोर्ट रोड, मुरादाबाद।

पत्र संख्या **4681–83**/मु0–फैटल एक्सी/2025 दिनांक–**11/7/25**

सेवायोजक/स्वामी
श्री कैसर अहमद पुत्र श्री गौ0 यासीन
निवासी 1248/2, भण्डा पट्टी तहसील व जिला हापुड।
मैसर्स–पटाखा फैक्ट्री, ग्राम अतरासी खसरा नं0–241,
जिला अमरोहा। (दूरभाष नम्बर–9759221620)

नोटिस अण्डर सैक्शन 10 ए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923

आपको सूचित किया जाता है कि आपके उपरोक्त प्रतिष्ठान में हुई दुर्घटना की सूपना संबंध में जिला प्रमारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा के पत्रांक 678–78 दिनांक 16.06.2025 द्वारा आपके उक्त प्रतिष्ठान पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना की स्थलीय जॉच में आपके अधीन / कार्य नियोजन में 04 कर्मचारियों की मौके पर मृत्यु एवं 09 कर्मचारियों की के घायल होने से अवगत कराया गया है। तथा पुन: पत्र सं0–784 दिनांक 10.07.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल इलाज के दौरान सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र की दिनांक 21.06.2025 को मृत्यु हो गई है। मृतक मोना की माता जी श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र द्वारा दिनांक 10.04.2025 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं आशितों के आधार कार्ड की प्रति संलग्न कर अवगत कराया गया है कि उक्त मृतक कर्मचारी अकुशल थी। अभिलेखीय साक्ष्य में मृतक श्रमिक सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरूदीन जिला अमरोहा की जन्म तिथि 17.04.2005 होने मृतक की दुर्घटना दिनांक 16.06. 2025 को उसकी आयु, 20 वर्ष लगभग उल्लेखित होती है। अत: मृतक मोना की आयु 20 वर्ष क्षतिपूर्ति की गणना हेतु उल्लेखित होती है। उक्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के अनुसार पदानुरूप न्यूनतम वेतन 10,994/– रूपया प्रतिमाह निर्धारित है।

इस आयु वर्ग का अधिनियम में प्रयोज्य गुणांक–224.00 एवं मृत्यु की दशा में अधिनियम की धारा 4 उपधारा (1) (क) के अनुक्रम में वेतन रूपया 10,994/– का 50 प्रतिशत की कटौती कर अंकन 5,497/–रू0 वद्दनुसार आयु 24 वर्ष का सुसंगत गुणांक से संगणना करने पर 5497 X 224.00 = 12,31,328/– (रूपये बारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) क्षतिपूर्ति अवधारित की जाती है।

अत: आपको निर्दशित किया जाता है कि आप मृतक कर्मचारी सुश्री मोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र को देय क्षतिपूर्ति रू0 = 12,31,328/– (रूपये वारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) का बैक ड्राफ्ट कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुरादाबाद के पद नाम से 30 दिन में जमा करना सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि क्षतिपूर्ति धनराशि आदेशित समय के अन्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

पुष्पेन्द्र
भाई 14/07/2025

(अजीत कुमार कन्नौजिया)
कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं सहायक श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक– उक्तवत्।
प्रतिलिपि :

1–श्रीमती प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र (मृतक कर्मचारी सुश्री मोना की माता) निवासी– मौ0 मोतीनगर तहसील व जिला अमरोहा को सूचनार्थ प्रेपित।
2–प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारी अमरोहा।

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त
एवं सहायक आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

Annexure No. -3

प्रेषक,

उप श्रम आयुक्त,उ0प्र0
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय महार्षि दयानन्द नगर
निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर

पत्रांकः 3106 /मु0 कर्म0 प्रति0 अधि0 1923 दिनांक 12/5/2026

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या–204/N-75/जनरल 2026 दिनांक 06.05.2026 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–827/2025 दानवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में दिनांक 04.05.2026 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुपालन उपलब्ध कराने के संबंध में है।

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि श्री सैफुर रहमान पुत्र कैशर अहमद व अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा संचालित पटाका फैक्ट्री ग्राम अतरासी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा में दिनांक–16.06.2025 को अचानक से आग लग जाने के कारण जोरदार धमाका हो जाने से फैक्ट्री में कार्यरत चार महिला श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा एक महिला श्रमिक की दौरान इलाज मृत्यु कारित होने की सूचना प्राप्त हुई सूचना प्राप्त होते ही कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा–10 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना कर क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने हेतु सेवायोजक पक्ष को नोटिस प्रेषित किये गये। सेवायोजक पक्ष द्वारा न तो क्षतिपूर्ति जमा की गयी और न ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। इसी दौरान मृतक श्रमिक के परिवाजनों द्वारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त एवं उप/सहायक श्रम आयुक्त मुरादाबाद के समक्ष योजित किये गये जिनको उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वाद संख्या –ई0सी0ए0 95/2025 श्रीमती किशवरी बनाम सैफुररहमान व अन्य,ई0सी0ए0 96/2025 श्री साबिर बनाम सैफुररहमान व अन्य, ई0सी0ए0 97/2025 श्री सोविन्द्र सिंह बनाम सैफुररहमान व अन्य, ई0सी0ए0 98/2025 श्री दानवीर बनाम सैफुररहमान व अन्य, ई0 सी0 ए0 99/2025 श्रीमती प्रेमवती बनाम सैफुररहमान व अन्य, पर पंजीकृत कर पक्षों को सुनवाई हेतु सम्मन प्रेषित किये गये। उक्त समस्त वाद वर्तमान में विचाराधीन हैं। सेवायोजक द्वारा न्यायालय में क्षतिपूर्ति जमा करने के उपरान्त ही याचिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 4, जो प्रतिकर की रकम की गणना निम्न फार्मूला से की जाती हैः–

गणना फार्मूला ——————— मासिक वेतन X 50/100 X आयु गुणक

उक्तानुसार सूचना सादर प्रेषित हैं

संलग्नकः– यथोक्त

भवदीय,

सहायक श्रम आयुक्त,
मुरादाबाद।
कृते–उप श्रम आयुक्त,
मुरादाबाद क्षेत्र,मुरादाबाद।

अनुसूची 4

(धारा 4 देखिए)

स्थायी निःशक्तता और मृत्यु की दशा में प्रतिकर को रकम के एक-मुश्त समतुल्य रकम निकालने के लिए गुणक

कर्मचारी को प्रतिकर देय होने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती उसके अन्तिम जन्म दिवस को पूर्ण हुए वर्षों की संख्या	गुणक
(1)	(2)
16 से अधिक नहीं	228.54
17	227.49
18	226.38
19	225.22
20	224.00
21	222.71
22	221.37
23	219.95
24	218.47
25	216.91
26	215.28
27	213.57
28 इससे अधिक नहीं	211.79
29	209.92
30	207.98
31	205.95
32	203.85
33	201.66
34	199.40
35	197.06
36	194.64
37	192.14
38	189.56
39	186.90

(1)	(2)
40	184.17
41	181.37
42	178.49
43	175.54
44	172.52
45	169.44
46	166.29
47	163.07
48	159.80
49	156.47
50	153.09
51	149.67
52	146.20
53	142.68
54	139.13
55	135.56
56	131.95
57	128.33
58	124.70
59.	121.05
60.	117.41
61	113.77
62	110.14
63	106.52
64	102.93
65 या अधिक	99.37

रिपोर्ट थाना रजबपुर जनपद अमरोहा

सेवा मे

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जनपद अमरोहा

द्वाराः- उचित माध्यम।

विषयः- थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 152/25 धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान के सम्बन्ध मे प्रगति आख्या उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मुकदमा वादी सोविन्द्र पुत्र लाले सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की तहरीर बाबत दिनांक 16.06.2025 को अपनी पत्नी सर्वेश के सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड की ग्राम अतरासी स्थित पटाका फैक्ट्री मे काम करने के दौरान कारखाना मालिक की लापरवाही के कारण विस्फोट होने जिससे वादी की पत्नी 1.सर्वेश 2.रूमा पत्नी दानवीर निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 3.रूकसाना पुत्री जाकिर अली 4.शहनाज पत्नी साबिर निवासीगण ग्राम व थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की मौके पर ही मृत्यु हो जाने व 1. मौना पत्नी गिरीशचन्द 2.पूजा पुत्री गिरीशचन्द 3.पूजा पत्नी अमित कुमार 4.विशाल पुत्र धर्मसिंह 5.इन्द्रवति पत्नी छोटेलाल निवासीगण मौहल्ला मोतीनगर अमरोहा 6.सोनिया पत्नी ओमप्रकाश 7.पूजा पत्नी राकेश निवीगण ग्राम पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा 8.नाजरीन पुत्री कमरूद्दीन निवासी मंगूपुरा थाना रजबुपर अमरोहा 9.सलोनी पुत्री रामवतार निवासी ग्राम अतरासी कला थाना रजबपुर जनपद अमरोहा के गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध मे दिनांक 17.06.2025 को थाना हाजा पर प्राप्त हुई जिसपर दिनांक 17.06.2025 को ही थाना हाजा पर मु0अ0स0 152/2025 धारा 288/125बी/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम बनाम सैफुर रहमान पुत्र केसर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा जिला हापुड पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लवनीश कुमार ग्रहण कर सम्पादित की गयी दुर्घटना मे मृतकों 1.सर्वेश 2.रूमा 3.रूकसाना 4.शहनाज उपरोक्त के पंचायतनामे की कार्यवाही थाना हाजा पर नियुक्त उ0नि0 श्री उमेश कुमार मो0न0 8299130221 द्वारा दिनांक 16.06.2025 को की गयी साक्ष्य संकलन के आधार पर

दिनांक 27.06.2025 को मुकदमा उपरोक्त मे धारा 105 बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त सैफुर रहमान उपरोक्त के आतिशबाजी कारखाने मे आतिशबाजी बनाते समय लाइंसेंस के नियमों व शर्तो का पालन न करने व लापरवाही के कारण हुये विस्फोट के दृष्टिगत उक्त लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल मे लायी गयी। मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 288/125बी/105/106 बीएनएस व 9बी विस्फोटक अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या 137/25 दिनांक 02.08.2025 को माननीय न्यायालय जनपद अमरोहा प्रेषित किया गया।

श्रीमान जी रिपोर्ट सादर सेवा मे प्रेषित है।

17/02/26

कोमल तोमर
(थाना प्रभारी)
थाना रजबपुर
जनपद अमरोहा

महोदय,
कृपया अग्रसारित हैं।
17.02.26
क्षेत्राधिकारी नगर
जनपद-अमरोहा

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट

(Under Section 193 B.N.S.S.)
(धारा 193 बी एन एस एस के अन्तर्गत)

IN THE COURT OF : श्रीमान जे0एम0 कोर्ट अमरोहा (के न्यायालय

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** अमरोहा
   P.S. (थाना): रजबपुर **Year(वर्ष):** 2025
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0152 **Date(दिनाँक):** 17/06/2025
2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01
3. **Date(दिनाँक):** 02/08/2025
4.

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	288
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	125(b)
3	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9B
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	105

5. **Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):** आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):**
7. **If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):** मूल

8. Name of I.O. at the time of charge sheet LOVENISH KUMAR
(आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):
सोविन्द्र सिंह

(b) (ख) Father 's Name (पिता का नाम) : श्री लालेसिंह

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal
(क्रं. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name सैफुर रहमान
Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): कैशर अहमद

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1997

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):
Date of Issue(जारी करने की तिथि):
Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) **Religion (धर्म):**

(viii) **Whether SC/ST/OBC**
(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) **Occupation(व्यवसाय):**

(x) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	1248/02 , भंडा पट्टा , हापुरनगर, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	1248/02 , भंडा पट्टा , हापुरनगर, हापुड़, उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) **Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):** 27/06/2025

(xiii) **Date of release on bail**
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) **Date on which forwarded to court**
(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) **Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):**

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	288
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	125(b)
3	विस्फोटक अधिनियम, 1884	9B
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105

(xvi) **Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):**

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मोo नंo)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	सोविन्द्र सिंह / 9100000000				वर्तमान पता: ग्राम व पो0 पपसरा ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम व पो0 पपसरा ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	शिकायतकर्ता

2	का0 13 मनोज कुमार / 9564984981	:			वर्तमान पता: थाना रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
3	सलोनी पुत्री राम अवतार / 9564568798	:			वर्तमान पता: अतरासी कलां , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अतरासी कलां , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
4	पिन्की पत्नी राम अवतार / 9561246872	:			वर्तमान पता: नि0 अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: नि0 अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
5	कैशर अहमद पुत्र यासीन / 9562639200	:			वर्तमान पता: 1248/02 भंडा पट्टा ,हापुरनगर,हापुड़,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: 1248/02 भंडा पट्टा ,हापुरनगर,हापुड़,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
6	सविता पत्नी गौरव / 9564651654	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
7	गौरव पुत्र राधे / 9456278606	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
8	राम अवतार पुत्र कलुआ / 9520634516	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह

9	नौशाद पुत्र इस्ताक अली / 9523045101	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
10	अमजद पुत्र करामत / 9996206529	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
11	शहादत अली पुत्र लियाकत अली / 9562065641	:			वर्तमान पता: नि0 ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: नि0 ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
12	नासिर पुत्र साबिर / 9562154120	:			वर्तमान पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम अतरासी कलां ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अन्य गवाह
13	साबिर अली पुत्र कलुवा / 9564032102	:			वर्तमान पता: ग्राम रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
14	मौबीन अहमद पुत्र नसीम / 9520632085	:			वर्तमान पता: अतरासी कलां, रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: अतरासी कलां, रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
15	आशिफ अली पुत्र मुन्सीम अहमा / 9894562010	:			वर्तमान पता: शहबाजपुर शेऱ , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: शहबाजपुर शेऱ , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह

16	साकिब अली पुत्र मुन्सरीफ / 9650640621	:			वर्तमान पता: शहवाजपुर कलां , गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: शहवाजपुर कलां , गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
17	सद्दाम हुसैन पुत्र शब्बीर / 9562063246	:			वर्तमान पता: शहबाजपुर कलां , गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: शहबाजपुर कलां , गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
18	इसरार पुत्र जाकिर अली / 9452061321	:			वर्तमान पता: ग्राम रजबपुर ,ग्राम रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ग्राम रजबपुर ,ग्राम रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
19	फुरकान पुत्र असगर / 9501147164	:			वर्तमान पता: नि0 रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: नि0 रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
20	शाकिर पुत्र साबिर अली / 9563028503	:			वर्तमान पता: रजबपुर ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: रजबपुर ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
21	मौ0 आसिफ पुत्र अब्दुल / 9564060013	:			वर्तमान पता: रजबपुर ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: रजबपुर ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
22	इमामुद्दीन पुत्र बुलाकी / 9564180104	:			वर्तमान पता: ग्राम मंगूपुरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम मंगूपुरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
23	दानवीर पुत्र प्रेमसिंह / 9538250230	:			वर्तमान पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह

24	जितेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह / 9152503012	:			वर्तमान पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
25	रोहित पुत्र ऋषिपाल / 9560345320	:			वर्तमान पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
26	भूरे पुत्र ऋषिपाल / 9999962650	:			वर्तमान पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: ग्राम पपसरा , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
27	कीरल पुत्र राजपाल सिंह / 9508786123	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
28	नन्हू पुत्र शीबू / 9564654001	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
29	कैलश पुत्र सीताराम / 9564032104	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
30	शोविन्द्र पुत्र सोमपाल / 9560543505	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
31	शोविन्द्र पुत्र लाले सिंह / 9512504684	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
32	महेन्द्र पुत्र रामबाबू / 9506546540	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह

33	गिरिश चन्द पुत्र गंगाशरण / 9450654652	:			वर्तमान पता: मौ0 मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मौ0 मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
34	कुलदीप पुत्र चिरंजी / 9956540613	:			वर्तमान पता: मौ0 मोती नगर, अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मौ0 मोती नगर, अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंच गवाह
35	शिवकुमार पुत्र नरेश / 9566874651	:			वर्तमान पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
36	निरजन पुत्र गंगाशरण / 9561001654	:			वर्तमान पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
37	सतीश पुत्र कृष्णा / 9560321014	:			वर्तमान पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: मौ0 मोती नगर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	पंच गवाह
38	डा0 सतीश चन्द भास्कर / 9562600154	:			वर्तमान पता: तैनाती सीएचसी ढवारसी ,आदमपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती सीएचसी ढवारसी ,आदमपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
39	डा0 प्रिंस कुमार / 9566506842	:			वर्तमान पता: तैनाती सीएचसी नौगावा सादात ,नौगांवा सादात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती सीएचसी नौगावा सादात ,नौगांवा सादात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य

40	डा0 विजय कुमार / 9506464513	:			वर्तमान पता: तैनाती सीएचसी धनौरा,मण्डी धनौरा ,अमरोहा, उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती सीएचसी धनौरा,मण्डी धनौरा ,अमरोहा, उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
41	डा0 अजित सिंह / 9532154613	:			वर्तमान पता: तैनाती सीएचसी गजरौला ,गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती सीएचसी गजरौला ,गजरौला,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
42	नाजरीन पत्नी कमरूद्दीन / 9560123165	:			वर्तमान पता: मंगूपुरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मंगूपुरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
43	सोनिया पत्नी ओमप्रकाश / 9527984651	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
44	पूजा पत्नी रजेश / 9566681320	:			वर्तमान पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: पपसरा ,रजबपुर, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
45	पुजा पत्नी अमित / 9561254784	:			वर्तमान पता: मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
46	पुजा पुत्री गिरीश / 9566387812	:			वर्तमान पता: मोतीनगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मोतीनगर ,अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
47	विशाल पुत्र धर्मसिंह / 9566480401	:			वर्तमान पता: मोतीनगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मोतीनगर ,अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह

48	इन्द्रवती पत्नी छोटे / 9564684981	:			वर्तमान पता: मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मोती नगर , अमरोहा नगर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
49	उ0नि0 श्री इन्द्रजीत / 9452796201	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना अमरोहा देहात,अमरोहा देहात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना अमरोहा देहात,अमरोहा देहात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
50	उ0नि0 श्री उमेश कुमार / 9565964512	:			वर्तमान पता: तैनाती पीआरओ पुलिस अधीक्षक,अमरोहा देहात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती पीआरओ पुलिस अधीक्षक,अमरोहा देहात, अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
51	उ0नि0 श्री अशोक शर्मा / 9564651203	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना डिडौली ,डिडोली,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना डिडौली ,डिडोली,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
52	उ0नि0 श्रीपाल सिंह / 9456515987	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना रहरा ,रहरा,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना रहरा , रहरा,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	पंचायतनामा लाश साक्षी
53	हे0का0 122 जहीर इस्लाम / 9564985465	:			वर्तमान पता: हाल तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: हाल तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
54	का0 1062 दीपक तोमर / 9566065412	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह

55	म0का0 210 मोनिका / 9566765412	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
56	म0का0 135 विमलेश / 9513264584	:			वर्तमान पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती थाना रजबपुर ,रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	अन्य गवाह
57	डा0 मौहम्मद इकवाल / 9526771320	:			वर्तमान पता: तैनाती जिला अस्पताल अमरोहा ,अमरोहा देहात,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: तैनाती जिला अस्पताल अमरोहा ,अमरोहा देहात,अमरोहा,उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
58	उ0नि0 लवनीश कुमार / 9526491230	:			वर्तमान पता: थाना रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत स्थायी पता: थाना रजबपुर , रजबपुर,अमरोहा,उत्तर प्रदेश, भारत	अनुसंधान साक्षी

14.If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी मुकमदा उपरोक्त वादी मुकदमा सोविन्द्र सिंह पुत्र श्री लालेसिंह ग्राम व पो0 पपसरा थाना रजबपुर जनपद अमरोहा की लिखित प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 152/25 धारा 288.125बी.106 बीएनएस व धारा 9बी विस्फोटक अधि0 बनाम सैफुउर रहमान पुत्र कैशर अहमद निवासी 1248/02 भंडा पट्टा थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 के सुपुर्द की गयी। मुकदमा उपरोक्त मे साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 106 बी0एन0एस0 की जगह धारा 105 बी0एन0एस0 के अपराध का होना पाया गया अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी , बयान गवाहान, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के अभि0 सैफुउर रहमान पुत्र कैशर अहमद निवासी म0न0 1248/02 भंडा पट्टी थाना कोतवाली

हापुड जिला हापुड के विरूद्ध धारा 288.125बी.105 बीएनएस व धारा 9बी विस्फोटक अधि0 का जुर्म बाखूबी साबित है अतः अभि0 सैफुउर रहमान पुत्र कैशर अहमद निवासी म0न0 1248/02 भंडा पट्टी थाना कोतवाली हापुड जिला हापुड का चालान द्वारा आरोप पत्र संख्या 137/25 दिनांक 02.08.2025 धारा 288.125बी.105 बीएनएस व धारा 9बी विस्फोटक अधि0 मे किता कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। महोदय से अनुरोध है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट प्राप्त होने पर एससीडी के माध्यम से विवेचना मे शामील किया जायेगा। विवेचना द्वारा आरोप पत्र समाप्त की जाती है।

17. Refer Notice served नहीं **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on(प्रेषण की तिथि): 02/08/2025

19. No. of enclosures(संलग्नको की संख्या): 3

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):
IIF1.pdf, IIF2.pdf, IIF3_1.pdf

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क. Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख. The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क. Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख. Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23. Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): SHO RAJABPUR

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 9454403677

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): LOVENISH KUMAR

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं:

 Annexure No. -5

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–627/2025 दानवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में आहूत बैठक दिनांक–04.05.2026 का कार्यवृत्त।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–627/2025 दानवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार अमरोहा में दिनांक–04.05.2026 को सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आहुत की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1–श्री अखिलेष कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर, अमरोहा।
2–श्री परमानन्द, तहसीलदार सदर, अमरोहा।
3–सुश्री मौनिका गौतम, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग, अमरोहा।
4–श्री पवन शुक्ला, आपदा विशेषज्ञ, अमरोहा।
5–श्री अनुराग तोमर, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा।
6–श्री गिरीश चन्द्र आर्या, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

1. सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड, बिजनौर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 के प्रथम आदेश दिनांक–04.12.2025 द्वारा जनपद अमरोहा के ग्राम–अतरासी में दिनांक–16.06.2025 को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुये विस्फोट से मारे गये 05 व्यक्तियों के संबंध में सुनवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में अग्रिम नियत तिथि 25.05.2026 से पूर्व जिलाधिकारी, अमरोहा का शपथ पत्र दाखिल किया जाना है। प्रकरण में पूर्व में जिलाधिकारी, अमरोहा के पत्र दिनांक–18.12.2025 द्वारा उप जिलाधिकारी, सदर, अमरोहा, क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस) सदर, अमरेाहा, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, अमरोहा, सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग) अमरोहा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर की समिति गठित की गयी। उक्त संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–09.02.2026 को प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा अग्रेतर अवगत कराया गया कि श्रम परिवर्तन विभाग, अमरोहा की आख्या दिनांक–13.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त प्रकरण में मारे गये 05 श्रमिकों को देय धनराशि का विवरण निम्नवत् है, जिसके सन्दर्भ में धनराशि आश्रितगणों को निर्गत किये जाने हेतु न्यायालय कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त, एवं उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत परिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद द्वारा सेवायोजक को नोटिस प्रेषित किये जा चुके हैं :–

क0 सं0	मृतक का नाम एवं पता	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि
01	रूमा पत्नी श्री दानवीर, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा।	**9,96,991** (रूपया नौ लाख छियानवे हजार नौ सौ इक्यानवे मात्र)
02	शहनवाज पत्नी श्री साबिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा।	**8,45,988** (रूपया आठ लाख पैतालीस हजार नौ सौ अट्ठासी मात्र)
03	सर्वेश पत्नी श्री सोविन्द्र सिंह, निवासी ग्राम पपसरा थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा।	**10,69,936** (रूपया दस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छत्तीस मात्र)
04	रुकसाना पुत्री श्री जाकिर अली, ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा।	**12,00,929** (रूपया बारह लाख नौ सौ उनत्तीस मात्र)
05	सुश्री सोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम भडैया कमरूदीन जिला अमरोहा।	**12,31,328** (रूपया बारह लाख इकत्तीस हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र)

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड, बिजनौर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, अमरोहा की ओर से शपथ पत्र मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही करते हुये आख्या/एक्शन प्लान सहित शपथ पत्र मा0 एन0जी0टी0 में प्रेषित किया जाना उचित होगा—

क. सं.	अपेक्षित कार्यवाही	सम्बन्धित विभाग
1	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि, जिस हेतु उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, को मृतक आश्रितों को निर्गत किया जाना।	**उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग, अमरोहा**
2	उक्त प्रकरण में ब्लास्ट को आपादा की श्रेणी में रखते हुये एस0डी0आर0एफ0/ एन0डी0 आर0एफ0 के अन्तर्गत रू0—04 लाख का मुआवजा मृतक आश्रितों को निर्गत किया जाना।	**उप जिलाधिकारी, तहसील—सदर, अमरोहा/आपदा विशेषज्ञ, अमरोहा**

4. उक्त प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग, अमरोहा से पृच्छा की गयी कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत देय योग्य धनराशि की गणना का आधार क्या है, इस सम्बन्ध में सहायक श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त गणना श्रम आयुक्त मुरादाबाद स्तर से की गयी है। तत्क्रम में सहायक श्रम आयुक्त श्रम विभाग, अमरोहा को निर्देशित किया जाता है कि उप श्रम आयुक्त मुरादाबाद से समन्वय स्थापित करते हुये गणना का आधार प्रस्तुत किया जाये।
5. एस0डी0आर0एफ0 फण्ड के संबंध में तहसीलदार अमरोहा से पृच्छा किये जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि एस0डी0आर0एफ0 फण्ड के अन्तर्गत रू0—04 लाख का मुआवजा निर्गत किये जाने हेतु आख्या एवं संस्तुति दिनांक—05.05.2026 तक उप जिलाधिकारी सदर के माध्यम से जिलाधिकारी, अमरोहा कार्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी। इसी कम में श्री पवन शुक्ला, आपदा विशेषज्ञ, जिलाधिकारी कार्यालय, अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आख्या प्राप्त होने पर मुआवजे हेतु राहत राशि की मांग राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित कर दी जायेगी।

बैठक में सम्यक विचारोपरान्त सम्बन्धित विभागों को निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में की गयी गणना के अनुसार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत पीडितों को देय योग्य धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही, कार्ययोजना एवं निर्गत किये जाने की समय सीमा के संबंध में विस्तृत आख्या एवं कमेन्ट्स 03 दिवस के अन्दर प्रेषित की जाये।

   (कार्यवाही : उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद/ सहायक श्रम आयुक्त (श्रम विभाग) अमरोहा)
2. उप जिलाधिकारी सदर द्वारा एस0डी0आर0एफ0 फण्ड से रू0—04 लाख का मुआवजा प्रत्येक पीडित को निर्गत किये जाने हेतु कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुये राहत राशि की उपलब्धता जिला प्रशासन को प्रेषित किये जाने हेतु राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को मांग पत्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   (कार्यवाही : उपजिलाधिकारी सदर, अमरोहा/ आपदा विशेषज्ञ, अमरोहा)

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार सूचना/कमेन्ट्स समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुये विलम्बतम 03 दिवस के अन्दर जिलाधिकारी कार्यालय, अमरोहा एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को ई–मेल आई डी (robijnaur@uppcb.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अन्त में सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गयी।

06/5/26

(नितिन गौड़)
जिलाधिकारी
अमरोहा

कार्यालय जिलाधिकारी, अमरोहा

पत्रांक– 204/N-75/जनरल 2026 दिनांक– 06/05/2026

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–उप श्रम आयुक्त, मुरादाबाद क्षेत्र जिला पंचायत परिसर कोर्ड रोड, मुरादाबाद।
2–क्षेत्राधिकारी पुलिस सदर, अमरोहा।
3–तहसीलदार सदर, अमरोहा।
4–श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्रम विभाग, अमरोहा।
5–आपदा विशेषज्ञ, अमरोहा।
6–प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, अमरोहा।
7–क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
अमरोहा।

 Annexure No. -6

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अमरोहा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अमरोहा।

सेवा में,

राहत आयुक्त
उत्तर प्रदेश, शासन
राजस्व अनुभाग–10, लखनऊ।

दिनांक : 17 मई 2026

संख्या : 770/आ0प्र0–अग्निकाण्ड/2026–27

विषय– **दिनांक 16.06.2025 को जनपद अमरोहा के पटाका फैक्ट्री में हुये बिस्फोट में मृतक परिवारों/आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु बजट आवंटित किये जाने सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2025 को दोपहर लगभग 11:45 बजे ग्राम अतरासी तहसील व जनपद अमरोहा में अवस्थित पटाखा फैक्ट्री जो सैफउर्ररहमान पुत्र कौशर अहमद निवासी 1248/02 भण्डा पटटी थाना कोतवाली जनपद हापुड़ के नाम से रजिस्टर्ड है, में अज्ञात कारणों से विस्फोट हुआ है, जिसके फलस्वरूप मौके पर 04 महिलाओं की मृत्यु हो गयी तथा 09 व्यक्ति (01 पुरूष व 08 महिलायें) घायल हो गये, जिंनमें से 01 महिला की मृत्यु उपचारोपरान्त हो गयी थीं। उक्त घटना की जाँच हेतु कार्यालय तत्कालीन जिलाधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या 1194/एन–75/जनरल–2025 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा संयुक्त टीम गठित की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उक्त प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो पत्र के साथ संलग्न है।

शासनादेश संख्या 4807/रा0आ0का0/2023–24 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 में उल्लिखित है कि राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन में "Fire" को राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता प्रदान करने हेतु आपदा के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन में आग के कारणों के आधार पर राहत देने हेतु विभेद नहीं किया गया है, गाइडलाइन में "Fire" शब्द उल्लिखित है। सभी प्रकार के अग्निकाण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/फैक्ट्री में आग/ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से/दुर्घटनावश/अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग) से होने वाली जनहानि (हत्या या आत्महत्या को छोड़कर) के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानको के अनुरूप पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि की दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विभेद न करते हुए मृतक के परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान की जाएगी।

उक्त घोषित राज्य आपदा के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फन्ड–800–अन्य व्यय 06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–07 अग्निकाण्ड हेतु डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42 अन्य व्यय" के अन्तर्गत सहायता दिये जाने हेतु पीडित व्यक्ति को भारत सरकार के शासनादेश संख्या 33–03/2020 एनडीएम–I (खण्ड–II) दिनांक 10.10.2022 के कम में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1–11099/59/2022–11 राजस्व अनुभाग–11 दिनांक 13.10.2022 में वर्णित प्राविधानों के अनुकम में मृतको के आश्रितो को अंकन 4,00,000–00 रू0 प्रति पीड़ित (रू0 चार लाख मात्र) अहैतुक सहायता हेतु स्वीकृति प्रदान कर कुल रूपये 20,00,000.00 (बीस लाख) की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार राज्य आपदा के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फन्ड–800–अन्य व्यय 06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–07 अग्निकाण्ड हेतु डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42 अन्य व्यय" के अन्तर्गत सहायता दिये जाने हेतु कुल रूपये 20,00,000.00 (बीस लाख) जनपद को आवंटित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,
17/5/26
(नितिन गौड़)
जिलाधिकारी
अमरोहा।

आदेश

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 16.06.2025 को दोपहर लगभग 11:45 बजे ग्राम अतरासी तहसील व जनपद अमरोहा में अवस्थित पटाखा फैक्ट्री जो सैफउर्ररहमान पुत्र कौशर अहमद निवासी 1248/02 भण्डा पटटी थाना कोतवाली जनपद हापुड़ के नाम से रजिस्टर्ड है, में अज्ञात कारणों से विस्फोट हुआ है, जिसके फलस्वरूप मौके पर 04 महिलाओं की मृत्यु हो गयी तथा 09 व्यक्ति (01 पुरूष व 08 महिलायें) घायल हो गये, जिनमें से 01 महिला की मृत्यु उपचारोपरान्त हो गयी थी। उक्त घटना की जाँच हेतु कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या 1194/एन–75/जनरल–2025 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा टीम गठित की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 09.02.2026 को उक्त प्रश्नगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जो पत्र के साथ संलग्न है। मृतको का विवरण निम्नवत है–

1– रूमा पत्नी दानवीर नि0 ग्राम पपसरा, थाना रजवपुर तहसील व जिला अमरोहा आयु जन्म तिथि 01.01.1984 से घटना तिथि 16.06.2025 को 41 वर्ष लगभग वेतन रू0–10994/–प्रतिमाह

2– शहनाज पत्नी शाबिर अली नि0 रजवपुर, थाना रजवपुर तहसील व जिला अमरोहा आयु जन्म तिथि 01.01.1975 से घटना तिथि 16.06.2025 को 50 वर्ष लगभग वेतन रू0–10994/– प्रतिमाह 10,994/–प्रतिमाह

3– सर्वेश पत्नी सोविन्द्र निवासी ग्राम पपसरा, थाना रजवपुर तहसील व जिला अमरोहा आयु जन्म तिथि वेतन रू0–10,994/– प्रतिमाह 01.01.1989 से घटना तिथि 16.06.2025 को 36 वर्ष लगभग

4– रुकसाना. पुत्री श्री जाकिर अली, निवासी ग्राम व थाना रजवपुर, तहसील व जिला अमरोहा। आयु जन्म तिथि 01.01.2001 से घटना तिथि 16.06.20205 को 50 वर्ष लगभग वेतन रू0 10,994/– प्रतिमाह

5– सुश्री सोना पुत्री श्री गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरूदीन जिला अमरोहा, उर्फ मौहल्ला–मोतीनगर, तहसील व जिला अमरोहा आयु–17.04.2005 से घटना तिथि 16.06.20025 को 20 वर्ष लगभग वेतन रू0 10,994/– प्रतिमाह

राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश कार्यालय के पत्र संख्या 4807/रा0आ0का0/2023–24 दिनांक 17 नवम्बर, 2023 में उल्लिखित है कि राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन में "Fire" को राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता प्रदान करने हेतु आपदा के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन में आग के कारणों के आधार पर राहत देने हेतु विभेद नहीं किया गया है, गाइडलाइन में "Fire" शब्द उल्लिखित है। सभी प्रकार के अग्निकाण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/फैक्ट्री में आग/ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से/दुर्घटनावश/अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग) से होने वाली जनहानि (हत्या या आत्महत्या को छोड़कर) के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानको के अनुरूप पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि की दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विभेद न करते हुए मृतक के परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान की जाएगी।

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा पत्र संख्या 204/एन–75/जनरल 2026 दिनांक 06.05.2026 के द्वारा भी मुआवजा वितरण धनराशि 04 लाख रू0 प्रति पीड़ित स्वीकृति हेतु निर्देश निर्गत किये गये है। पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

अतः भारत सरकार के शासनादेश संख्या 33–03/2020 एनडीएम–। (खण्ड–।।) दिनांक 10.10.2022 के कम में उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1–11099/59/2022–11 राजस्व अनुभाग–11 दिनांक 13.10.2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुकम में मृतको के आश्रितो को अंकन 4,00,000–00 रू0 प्रति पीड़ित (रू0 चार लाख मात्र) अहैतुक सहायता की स्वीकृति अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 05.05.026 को प्रदान की गई है।

उक्त घोषित राज्य आपदा के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फन्ड–800–अन्य व्यय 06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–09 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42 अन्य व्यय" के अन्तर्गत सहायता दिये जाने हेतु पीडित व्यक्ति का विवरण निम्नवत है:–

क0 सं0	पीडित का नाम व पता	बैंक शाखा का विवरण			कुल स्वीकृत धनराशि
		बैंक शाखा का नाम	आई0एफ0एस0 सी0 कोड	खाता संख्या	
1	दानवीर पुत्र प्रेम सिंह नि0 ग्राम पपसरा, थाना रजवपुर	प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक	PUNB0SUPGB5	86090122017759	400000.00 (चार लाख

Scanned with OKEN Scanner

	तहसील व जिला अमरोहा	पपसरा			रूपये)
2	साबिर अली पुत्र कलुवा खॉ नि० रजबपुर, थाना रजबपुर तहसील व जिला अमरोहा	आई०डी०बी० आई० बैंक निपैनिया अमरोहा	IBKL0001884	1884104000031842	400000.00 (चार लाख रूपये)
3	सोविन्दर सिंह पुत्र लाले सिंह निवासी ग्राम पपसरा, थाना रजबपुर तहसील व जिला अमरोहा	यूको बैंक अतरासी रोड, आवास विकास कालोनी अमरोहा	UCBA0003113	31130110016190	400000.00 (चार लाख रूपये)
4	किशवरी पत्नी जाकिर अली, निवासी ग्राम व थाना रजबपुर, तहसील व जिला अमरोहा	पंजाब नैशनल बैंक जोया	PUNB0651100	6511001700136733	400000.00 (चार लाख रूपये)
5	प्रेमवती पत्नी गिरीश चन्द्र, ग्राम मडैया कमरूद्दीन जिला अमरोहा, मौहल्ला–मोतीनगर, तहसील व जिला अमरोहा	भारतीय स्टेट बैंक जट बाजार अमरोहा	SBIN0000610	34896787312	400000.00 (चार लाख रूपये)

शासनादेश के कम में जनपद को प्राप्त धनराशि से भुगतान करने हेतु वित्तीय नियमों का पालन करते हुए उक्त पीड़ित परिवार को सहायता राशि ई–पेमेण्ट के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु सादर प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
अमरोहा

कार्यालय उपजिलाधिकारी, अमरोहा

पत्रांकः– 552 /रा०नि०(का०कार्य)/दै0आ0/2026 दिनांकः– 05 मई, 2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोदया अमरोहा।

2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोदय अमरोहा।

उपजिलाधिकारी
अमरोहा

Scanned with OKEN Scanner